अनुदान संख्या 92 – पर्यटन मंत्रालय
GRANT No. 92–MINISTRY OF TOURISM

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	377,32,00	377,33,00	369,11,94	–8,21,06
पूरक	Supplementary	1,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				5,65,44
पूंजीगत:	**Capital:**				
स्वीकृत-	Voted–		495,50,00	465,19,84	–30,30,16
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				30,22,50

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

1. In the revenue section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष ''2552'' उत्तर पूर्वी क्षेत्रा	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	1000.00	. .	. .	. .
पु.	R.	–1000.00			
मुख्य शीर्ष ''3452'' पर्यटन	Major Head "3452" Tourism				
मू.	O.	36402.00	36819.06	36570.59	–248.47
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	416.06			

(I) 1439.00 लाख रु. का प्रावधान निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत तीन मामलों में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(I) Provision of Rs.1439.00 lakhs remained wholly unutilised in three cases under the following major heads:-

(का) ''मुख्य शीर्ष ''2552'' -

(क) ''सामान्य (पर्यटन) - प्रशिक्षण - आईएचएमएस/एफसीआई/आईआईटीटीएम/एनसीएचएमसीटी'' - 300.00 लाख रु.; और

(ख) ''सामान्य (पर्यटन) - आतिथ्य सहित घरेलू संवर्धन और प्रचार'' - 700.00 लाख रु.।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्रा और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(खा) मुख्य शीर्ष ''3452'' - ''सामान्य - अन्य व्यय - भारतीय पर्यटन विकास निगम के लिए विनिवेश संबंधी आय की वापसी के लिए प्रावधान'' - 439.00 लाख रु. भारतीय पर्यटन विकास निगम के लिए विनिवेश संबंधी आय की वापसी के कुछ विवादित और न्यायाधीन मामलों का निपटान न होने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष ''3452'' - ''सामान्य'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''प्रशिक्षण'' - ''सेवा प्रदायकों के लिए क्षमता निर्माण'' - 497.83 लाख रु. की बचत (1000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम का पुनर्गठन किए जाने में विलंब होने की वजह से कम प्रस्तावों के प्राप्त होने के कारण हुई।

(खा) ''अन्य व्यय - संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम - आंतर पर्यटन परियोजना'' - 110.00 लाख रु. की बचत (150.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन अभिकरणों से उपयोग प्रमाण-पत्रों/दावों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (250.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष ''3452'' - ''सामान्य - अन्य व्यय-आवास अवसंरचना को प्रोत्साहन'' के अंतर्गत मार्च, 2007 में 1.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 249.00 लाख रु. था।

(A) Major Head "2552" -

(a) "General (Tourism) - Training - Asstt. to IHMS/FCI/IITTM/NCHMCT" - Rs.300.00 lakhs; and

(b) General (Tourism) - Domestic Promotion & Publicity including Hospitality" - Rs.700.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilised due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(B) Major Head "3452" – "General - Other Expenditure - Provision for refund of disinvestment Proceeds for ITDC" - Rs.439.00 lakhs - due to non-settlement of some disputed and subjudice cases of refund of disinvestments proceeds for India Tourism Development Corporation.

(II) Under Major Head "3452" - "General" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Training - Capacity Building for Service Provider" - saving of Rs.497.83 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1000.00 lakhs) was due to receipt of less proposals owing to delay in restructuring of the scheme.

(B) "Other Expenditure - UNDP-Endogenous Tourism Project" - saving of Rs.110.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.150.00 lakhs) was due to non-receipt of utilisation certificates/claims from the implementing agencies.

2.(I) The above savings were partly (Rs.250.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.1.00 lakh in March, 2007 under Major Head "3452" - "General - Other Expenditure - Incentives to accommodation infrastructure". Actual excess, however, was Rs.249.00 lakhs.

(II) बचतें मुख्य शीर्ष ''3452'' - ''सामान्य'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) ''प्रशिक्षण - आईएचएमएस/एफसीआई/आईआईटीटीएम/एनसीएचएमसीटी को सहायता'' - 300.00 लाख रु. का अधिक व्यय (4700.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्रा और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष ''2552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(खा) ''संवर्धन और प्रचार - प्रत्यक्ष व्यय'' - 542.76 लाख रु. का अधिक व्यय (22820.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्रा और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष ''2552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और केंद्रीकृत अभियानों के लिए निधियों की अतिरिक्त आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(गा) ''अन्य व्यय - बाजार अनुसंधान'' - 246.62 लाख रु. का अधिक व्यय (300.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) समुद्रपार के चयनित बाजारों में मूल्यांकन अध्ययन किए जाने के कारण हुआ।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "3452" - "General" - under the following heads:-

(A) "Training - Asstt. to IHMS/FCI/IITTM/NCHMCT" - excess of Rs.300.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4700.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(B) "Promotion and Publicity - Direct Expenditure" - excess of Rs.542.76 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.22820.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and additional requirement of funds for centralised campaigns.

(C) "Other Expenditure - Market Research" - excess of Rs.246.62 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.300.00 lakhs) was due to conducting of evaluation studies in selected overseas markets.

3. In the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष ''4552'' उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	7300.00			
पु.	R.	–7300.00	. .	. .	. .

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "5452" पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5452" Capital Outlay on Tourism				
मू.	O.	42250.00	46527.50	46519.84	–7.66
पु.	R.	4277.50			

(I) 7300.00 लाख रु. का प्रावधान मुख्य शीर्ष "4552" - "पर्यटक अवसंरचना - पर्यटक आवास" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत दो मामलों में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(का) "अधिक राजस्व उत्पन्न करने वाली परियोजनाओं के लिए सहायता" - 300.00 लाख रु. अधिक राजस्व उत्पन्न करने वाली परियोजनाओं संबंधी मार्गनिर्देशों को देर से अनुमोदन प्रदान किए जाने और कार्यान्वयन अभिकरणों से अधूरे प्रस्ताव प्राप्त होने की वजह से संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी किए जाने के कारण थे।

(खा) "गंतव्य और सर्किटों संबंधी उत्पाद/अवसंरचना का विकास" - 7000.00 लाख रु. पूर्वोत्तर क्षेत्रा और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष "5452" - "पर्यटक अवसंरचना - पर्यटक आवास - अधिक राजस्व उत्पन्न करने वाली परियोजनाओं के लिए सहायता" के अंतर्गत 4598.50 लाख रु. की बचत (4700.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निजी लोक भागीदारी के अंतर्गत संबंधित राज्य सरकार/अभिकरणों से पर्याप्त प्रस्तावों के प्राप्त न होने की वजह से संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी कर दिए जाने के कारण हुई।

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत 70.00 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 18 प्रतिशत थी।

(I) Provision of Rs.7300.00 lakhs remained wholly unutilised in two cases under Major Head "4552" - "Tourist Infrastructure - Tourist Accommodation" - under the following heads:-

(A) "Asstt. For Large Revenue Generating Projects" - Rs.300.00 lakhs - due to reduction of provision at revised estimates stage owing to late approval of guidelines of Large Revenue Generating Project and receipt of incomplete proposals from the implementing agencies.

(B) "Product/Infrastructure Development for Destination and Circuits" - Rs.7000.00 lakhs - due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) Under Major Head "5452" - "Tourist Infrastructure - Tourist Accommodation - Asstt. for Large Revenue Generating Projects" - saving of Rs.4598.50 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4700.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage owing to non-receipt of sufficient proposals from the concerned State Government/Agencies under Private Public partnership.

(III) Under one head saving of Rs.70.00 lakhs occurred constituting 18 percent of the sanctioned provision.

4. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष '5452'' - ''पर्यटक अवसंरचना - पर्यटक आवास - गंतव्य और सर्किटों संबंधी उत्पाद/अवसंरचना का विकास'' के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं - 8942.99 लाख रु. का अधिक व्यय (36900.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चालू अवसंरचना परियोजनाओं के लिए निधियों की अतिरिक्त आवश्यकता होने और पूर्वोत्तर क्षेत्रा और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष 4552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

4. The above savings were partly offset by excess under Major Head "5452" - "Tourist Infrastructure - Tourist Accommodation - Product/ Infrastructure Development for Destination and Circuits" - excess of Rs.8942.99 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.36900.00 lakhs) was due to requirement of additional funds for ongoing infrastructure projects and re-appropriation of funds from Major Head "4552" to functional heads for utilisation on projects/ schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.